International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.10 No.4 Mar – Apr 2023

समान नागरिक संहिता : आवश्यकता एवं चुनौतियाँ

डॉ. कवलजीत कौर[1] , डॉ. कल्पना जोशी[2]

[1] समाजशास्त्र विभाग , राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय , चम्पावत (उत्तराखण्ड)

[2] समाजशास्त्र विभाग, स्व. चन्द्र सिंह शाही राजकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय, कपकोट, बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

***Corresponding Author* - डॉ. कवलजीत कौर**

Email: kawal289@gmail.com

DOI- 10.5281/zenodo.7776804

सारांश - राष्ट्रीय स्तर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की कई बार चर्चा तो की गई, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठ पाया। एक देश एक कानून की तर्ज पर समान नागरिक संहिता समय की मांग है। इससे धर्म, जाति, वेशभूषा के कारण देश में होने वाले भेदभाव भी कम होंगे। देश के प्रमुख धार्मिक समुदायों के ग्रन्थों, रीति-रिवाजों और मान्यताओं के आधार पर बनाए गए व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने को यूनिफॉर्म सिविल कोड यानि समान नागरिक संहिता कहते है। समान नागरिक संहिता देश में एकरूपता लाने एवं समान अधिकार लागू करने के लिए आवश्यक है। समान नागरिक संहिता के लागू न होने से समता के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है। कानूनों की एकरूपता से देश में राष्ट्रवादी भावना को भी बल मिलेगा।

Keywords- समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता का इतिहास, समान नागरिक संहिता और न्यायालय, चुनौतियाँ

प्रस्तावना -

देश में समान नागरिक संहिता को लेकर बहस छिड़ी हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की कई बार चर्चा तो की गई, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठ पाया। अभी देश के केवल एक ही राज्य गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। इसे पुर्तगाली शासन के दौरान ही लागू किया गया था। वर्ष 1961 में गोवा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ बनी थी। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी बनाने की घोषणा की है। साथ ही यू.पी. में भी इसे लागू करने की तैयारी चल रही है। असल में समान नागरिक संहिता का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख वायदों में से एक है, इसीलिए अब भाजपा शासित राज्यों में इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है।

एक देश एक कानून की तर्ज पर समान नागरिक संहिता समय की मांग है। इससे धर्म, जाति, वेशभूषा के कारण देश में होने वाले भेदभाव भी कम होंगे। महिलाओं के लिए यह मील का पत्थर साबित होगी। मानव अधिकारों की रक्षा होगी। इसकी प्रक्रिया जटिल है, किंतु समान नागरिक संहिता समय की मांग है। यह देश के लिए अनिवार्य है। समान नागरिक संहिता के अभाव में हर धर्म के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ के तहत न्यायिक प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। इसके कारण कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समान नागरिक संहिता पर्सनल लॉ के सम्बन्ध में धार्मिक भेदभावों का अन्त करता है तथा सभी नागरिकों के लिए एक कानून की वकालत करता है। संविधान के भाग-4 (नीति निर्देशक तत्व) अनुच्छेद 44 में निर्देशित है कि राज्य, भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। राज्य नीति निर्देशक तत्व (अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक) के अनुच्छेद 44 में लिखा है कि देश को भारत के सम्पूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करना चाहिए।

समान नागरिक संहिता -

देश के प्रमुख धार्मिक समुदायों के ग्रन्थों, रीति-रिवाजों और मान्यताओं के आधार पर बनाए गए व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने को यूनिफॉर्म सिविल कोड यानि समान नागरिक संहिता कहते है। इसका अर्थ एक निष्पक्ष कानून से है, जिसका किसी धर्म से कोइ् ताल्लुक नहीं है। समान नागरिक संहिता एक पंथनिरपेक्ष कानून होता है जो सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। वर्तमान में मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का पर्सनल लॉ है जबकि हिन्दू सिविल लॉ के तहत हिन्दू, सिख, जैन और बौद्ध आते है।

संविधान निर्माण करते समय बुद्धिजीवियों ने सोचा कि हर धर्म के भारतीय नागरिकों के लिए एक ही सिविल कानून रहना चाहिए। इसके अन्दर आते है-

1. विवाह
2. सम्पत्ति-विरासत का उत्तराधिकार
3. दत्तक ग्रहण

समान नागरिक संहिता लागू करने का मतलब ये है कि शादी, तलाक और जमीन जायदाद के उत्तराधिकार के विषय में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। फिलहाल हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने-अपने पर्सनल लॉ के अनुसार करते है।

समान नागरिक संहिता का इतिहास -

जबब्रिटिश भारत आये तो उन्होंने पाया कि यहाँ हिन्दू, मुस्लिम, इसाई, यहूदी आदि सभी धर्मों के अलग-अलग धर्म संबंधित नियम कानून है। जैसे-

हिन्दू धर्म में-

1. पुनर्विवाह वर्जित था जिसे हिन्दू विधवा पुर्नविवाह अधिनियम 1856 द्वारा खत्म किया गया।
2. बाल विवाह मान्य था।
3. पुरूष के लिए बहुपत्नीत्व हिन्दू समाज में स्वीकार्य था।
4. स्त्री (पत्नी, बेटी, बहिन) को उत्तराधिकार से वंचित रखा जाता था।
5. स्त्री के लिए दत्तक पुत्र रखना वर्जित था।
6. विवाहित स्त्री को सम्पत्ति का अधिकार नहीं था जिसे मैरिज वूमन प्रोपर्टी अधिनियम 1923 द्वारा खत्म किया गया।

मुस्लिम में-

1. पुनर्विवाह की अनुमति थी।
2. उत्तराधिकार में स्त्री का कुछ हिस्सा था।
3. तीन बार तलाक बोलने मात्र से अपने जीवन से पुरूष स्त्री को हमेशा के लिए अलग कर सकता था।

अंग्रेजों ने शुरू में इस पर विचार किया कि सभी भारतीय के लिए एक ही नागरिक संहिता बनायी जाए, परन्तु धर्मों की विविधता और सबके अपने-अपने कानून होने के कारण उन्होंने यह विचार छोड़ दिया। इस प्रकार अंग्रेजों के काल में विभिन्न धर्म के धार्मिक विवादों का निपटारा कोर्ट संबंधित धर्मानुयायियों के पारम्परिक कानूनों के आधार पर करने लगी।

संविधान सभा ने भी समान नागरिक संहिता पर विचार किया था और एक समय इसे मौलिक अधिकार में रखा जा रहा था परन्तु 5:4 के बहुमत से यह प्रस्ताव निरस्त हो गया किन्तु राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अन्दर इसे शामिल कर दिया गया।

समान नागरिक संहिता और न्यायालय –

सर्वोच्च न्यायालय समान नागरिक संहिता के संदर्भ पर कई बार अपने विचार दे चुका है।

- **शाहबानो केस (1985)** समान नागरिक संहिता से जुड़ा हुआ प्रसिद्ध मामाला है। इस केस में शाहबानो नामक मुस्लिम महिला को उसके पति के द्वारा तलाक दे दिया गया था। परिणामस्वरूप उसने मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में अपने पति से गुजारा भत्ता देने के लिए याचिका दायक की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शाहबानों के पति को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया। न्यायालय के अनुसार आपराधिक प्रक्रिया संहिता पर्सनल कानून से ज्यादा महत्वपूर्ण है और यह मामला महिला के अधिकार से जुड़ा है।
- **सरला मुदगल बनाम भारत संघ (1955)** मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री से यह निवेदन किया कि वे संघ के अनुच्छेद 44 पर नया दृष्टिकोण अपनाए जिससे सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश दिया गया है और कहा कि ऐसा करना पीड़ित व्यक्ति की रक्षा तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता की वृद्धि के लिए आवश्यक है।
- **जॉन बलवत्तम केस (2003)** में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दुख की बात है कि संविधान के अनुच्छेद 44 को आज तक लागू नहीं कियर गया, संसद को अभी भी देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कदम उठाना है। समान नागरिक संहिता वैचारिक मतभेदों को देर कर देश की एकता अखंडता को मजबूत करने में सहायक होगी।
- **जोस पाउलो केस (2019)** में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार की तरफ से अब तक कोई प्रयास नहीं किया गया।
- **शायरा बानो केस (2016)** में उत्तराखण्ड के काशीपुर की शायरा बानो पहली महिला बनी जिन्होंने तीन तलाक, बहुविवाह और निकाह हलाला पर बैन लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में कहा कि बहुपत्नी प्रथा और तीन बार तलाक कहने का प्रावधान इस्लाम धर्म का मूल भाग नहीं है बल्कि यह महिलाओं से जुड़ा हुआ एक सामाजिक मुद्दा है।

समान नागरिक संहिता की आवश्यकता –

- पंथनिरपेक्ष देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए और कानून के निर्माण में धर्म के स्थान पर सामाजिक एवं आर्थिक हितों को महत्व देना चाहिए। विवाह और उत्तराधिकार एक सामाजिक मुद्दा है, धार्मिक नहीं। इस कारण समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है।

- दूनिया के अनेक ऐसे देश है. जहाँ इस्लाम धर्म को मानने वालों की बहुलता है। उन्होंने भी एक समान नागरिक संहिता अपना रखी है। तुर्की. मिस्त्र एवं पाकिस्तान जैसे देशों में एक से ज्यादा विवाह करना प्रतिबंधित है।
- विभिन्न नागरिक कानूनों के कारण इसका दुरूपयोग होता है तथा सामाजिक सुधार में समस्याऐं उत्पन्न होती है। अन्य धर्मावलंबियों के द्वारा दो विवाह करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाया जाता है।
- अलग-अलग धर्मों के अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के फैसले जल्द होंगे।
- शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा। वर्तमान में हर धर्म के लोग इन मामलों का निटारा अपने पर्सनल लॉ यानी निजी कानूनों के तहत करते है।
- सभी के लिए कानून में एक समानता से देश में एकता बढ़ेगी और जिस देश में नागरिकों में एकता होती है, वह देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ता है।
- हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होने से देश की राजनीति पर भी असर पड़ेगा और राजनीतिक दल वोट बैंक वाली राजनीति नहीं कर सकेगे और वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा।
- समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आएगा। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित है। इससे महिलाओं का अपने पिता की सम्पत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होगे।

<u>समान नागरिक संहिता को लागू करने के समक्ष चुनौतियाँ</u> -

- सांस्कृतिक विविधता के कारण व्यावहारिक कठिनाइयाँ- भारत के सभी धर्मों, संप्रदायों, जातियों, राज्यों आदि में व्यापक सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है। यही कारण है कि विवाह जैसे व्यक्तिगत मुद्दों पर एक समान राय बनाना व्यावहारिक रूप से कठिन है।
- धार्मिक स्वतन्त्रता के अधिकार का उल्लंघन- भारत में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक लोग और उनका प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं का मानना है कि समान नागरिक संहिता से उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।
- संवेदनशील मुद्दा- यदि समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्णय ले भी लिया गया तो इसे समग्र रूप देना आसान नहीं होगा। इसके लिए न्यायालय को व्यक्तिगत मामलों से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। विवाह, तलाक, पुनर्विवाह आदि जैसे मसलों पर किसी धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना कानून बनाना आसान काम नहीं है।
- साम्प्रदायिक राजनीति- कई विश्लेषकों का मानना है कि समान नागरिक संहिता की मांग केवल साम्प्रदायिक रानीति के संदर्भ में की जाती है। समाज का एक बड़ा वर्ग सामाजिक सुधार की आड़ में इसे बहुसंख्यकवाद के रूप में देखता है।
- संवैधानिक बाधा- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो किसी भी धर्म को मानने और प्रचार की स्वतंत्रता को संरक्षित करता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता की अवधारणा के विरूद्ध है।

<u>निष्कर्ष</u> - उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि समान नागरिक संहिता देश में एकरूपता लाने एवं समान अधिकार लागू करने के लिए आवश्यक है। समान नागरिक संहिता के लागू न होने से समता के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है। कानूनों की एकरूपता से देश में राष्ट्रवादी भावना को भी बल मिलेगा। अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत महिलाओं को प्रदत्त गरिमामय, स्वतंत्र जीवन सुनिश्चित करने के लिए समान नागरिक संहिता आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में देखा गया है कि तीन तलाक, मन्दिर प्रवेश इत्यादि मामलों में महिलाओं के साथ लौंगिक पक्षपात किया जाता रहा है। समान नागरिक संहिता विरासत और उत्तराधिकार समेत विभिन्न मुद्दों से संबंधित जटिल कानूनों को समाप्त कर स्पष्टता लाएगी।

लोगों में परस्पर विश्वास के निर्माण के लिये सरकार और समाज को कड़ी मेहनत करनी होगी, किंतु इससे भी महत्त्वपूर्ण यह है कि धार्मिक रूढ़िवादियों के बजाय इसे लोकहित के रूप में स्थापित किया जाए। एक सर्वव्यापी दृष्टिकोण के बजाय सरकार विवाह, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे अलग-अलग पहलुओं को चरणबद्ध तरीके से समान नागरिक संहिता में शामिल कर सकती है। सभी व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध किया जाना आवश्यक है, ताकि उनमें से प्रत्येक में पूर्वाग्रह और रुढ़िवादी पहलुओं को रेखांकित कर मौलिक अधिकारों के आधार पर उनका परीक्षण किया जा सके।

<u>संदर्भ ग्रन्थ</u> -

1. खान मौलाना वहीदुद्दीन, 'समान नागरिक संहिता', एक तर्कसंगत तथा सकारात्मक अध्ययन : ए गुडवुड बुक पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 1-16
2. दीक्षित मेजर राजकमल, 2022, 'समान नागरिक संहिता', *आईओएसआर जर्नल ऑफ ह्यूमनिटीस एण्ड सोशल सांइस,* वोल्यूम 27, इशू 5, सिरीज 1, पृष्ठ 68-70

3. नैन रचना, 2017, 'यूनिफॉर्म सिविल कोड : फार फ्रॉम रियालिटी', *इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ लीगल डेवलेपमेन्ट एण्ड एलाइड इशू,* वोल्यूम 3, इशू 6, पृष्ठ 67-77
4. भौमिक सुभ्रानिल, 2023, 'एन एनालादसिस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड', *इण्डियन जर्नल ऑफ इन्टीग्रेटेड रिसर्च इन लॉ*, वोल्यूम 3, इशू 1, पृष्ठ 1-32
5. सधाना एस एवं भूवनेश्वरी एस, 2018, 'ए कन्टेम्परी स्टडी ऑफ द यूनिफार्म सिविल कोड', *इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ पुरे एण्ड एप्लाइड मैथ्मेट्रीक्स*, वोल्यूम 120, नम्बर 5, पृष्ठ 4683-4693
6. शर्मा तान्या, 2020, 'यूनिफॉर्म सिविल कोड : ए डिटेलिड एनालाइसेस', *एक्क्लिम्स*, वोल्यूम 12, पृष्ठ 1-7